**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**विविध अपील क्रमांक 170/2006**

**एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति**

**अपीलार्थी/**
**प्रतिवादी क्रमांक-1** - द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अंबिकापुर, सरगुजा, द्वारा मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी/**
**दावाकर्ता क्रमांक-1** - 1. श्री श्यामलाल कंवर, 32 वर्ष, आत्मज श्री देवरसाय, जाति-कंवर, व्यवसाय-कृषि।

**प्रत्यर्थी/**
**दावाकर्ता क्रमांक-2**

2. श्रीमती अनीता, 30 वर्ष, पति श्री श्यामलाल कंवर, जाति-कंवर, व्यवसाय-गृहिणी। दोनों निवासी: ग्राम-सरभोका, थाना पटना, तहसील-बैकुंठपुर, जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अपीलार्थी/**
**प्रतिवादी क्रमांक-2 से 7**

3. श्री घूरसाय, 40 वर्ष, आत्मज श्री मेवालाल, जाति-घसिया, व्यवसाय-ट्रैक्टर चालक।

4. श्री घूरसाय पैंकरा, 38 वर्ष, आत्मज श्री रामसाय पैंकरा, व्यवसाय-ट्रैक्टर स्वामी। (प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 निवासी: ग्राम-कसरा, थाना पटना, तहसील-बैकुंठपुर, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़)

5. श्री रामभजन, 6 वर्ष, आत्मज जगमोहन, व्यवसाय-कृषि।

6. श्री लगनसाय, 55 वर्ष, आत्मज श्री पवनसाय, व्यवसाय-कृषि।

7. श्री जगसाय, 36 वर्ष, आत्मज श्री सज्जन साय, व्यवसाय-कृषि।

---

**<u>उपस्थितः-</u>**

अपीलार्थी/इंश्योरेंस कंपनी की ओर से श्री संकल्प जायसवाल अधिवक्ता

---

**आदेश (मौखिक)**

**(दिनांक 20.03.2007 को पारित)**

न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा निम्नलिखित मौखिक आदेश पारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दावा प्रकरण क्रमांक 26/2003 में, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैकुंठपुर, जिला कोरिया ने दिनांक 30.11.2004 के अधिनिर्णय द्वारा आवेदकों के पुत्र जितेंद्र, जो कि कक्षा 10वीं का छात्र था, की मृत्यु के लिए **1,08,000/- रुपये का न्यूनतम प्रतिकर** प्रदान किया है। यह अपील अधिनिर्णय की तिथि से 120 दिनों के पश्चात प्रस्तुत की गई थी। अतः यह अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है।

2. इस अपील को प्रस्तुत करने में हुए 30 दिनों के विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन (M.C.P. No. 211/2006) पर सुनवाई की गई।

3. यह अपील 'द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' द्वारा दिनांक 30.11.2004 के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। आक्षेपित अधिनिर्णय की प्रति के लिए दिनांक 22.12.2004 को आवेदन किया गया था और यह 29.12.2004 को प्राप्त हुई थी। न तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिए गए आवेदन में और न ही अपीलार्थी/बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में यह दर्शाया गया है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में फाइलें कैसे आगे बढ़ीं, प्रस्ताव कब भेजा गया और अपील दायर करने के लिए स्वीकृति कब प्राप्त हुई।

4. यह विधि नहीं है कि बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर करने में होने वाली हर विलंब को बिना यह सोचे-समझे स्वचालित रूप से क्षमा कर दिया जाए कि क्या विलंब का कोई पर्याप्त कारण है। किसी भी अन्य मुकदमे की तरह, बीमा कंपनी का भी यह दायित्व है कि वह विलंब का पर्याप्त कारण दर्शाए। अपीलार्थी/बीमा कंपनी एक विधिक विभाग से सुसज्जित है। यह अपीलार्थी का कार्य था कि वह यह दिखाए कि अधिनिर्णय की प्रति के लिए आवेदन करने में विलंब क्यों हुई, कंपनी ने आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव कब भेजा, वह कब प्राप्त हुआ और अपील कब दायर की गई। यह दोहराया जाता है कि केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी एक बीमा कंपनी है और ऐसी कंपनियों में 'प्रक्रियात्मक विलंब' एक नियम है, अपने आप में हर मामले में विलंब के क्षमा के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। चूंकि अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया है जो यह बताए कि इस अपील को दायर करने में विलंब क्यों हुई, इसलिए मैं इस विलंब को क्षमा करने के पक्ष में नहीं हूँ। केवल तभी जब अपीलार्थी/बीमा कंपनी फाइलों के आवागमन का विवरण प्रस्तुत करती है, उसे कुछ सीमा तक छूट दी जा सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संबंधित मंडल प्रबंधक का शपथ-पत्र इस बिंदु पर पूरी तरह मौन है। यहाँ तक कि विलंब के क्षमा के आवेदन में हुई वास्तविक विलंब (दिनों की संख्या) का भी उल्लेख नहीं किया गया है और वहाँ खाली जगह छोड़ दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब को क्षमा करने का आवेदन खारिज किया जाता है।

6. फलस्वरूप, यह विविध अपील भी **परिसीमा द्वारा वर्जित** होने के कारण खारिज की जाती है। उपरोक्त के आलोक में, स्थगन प्रदान करने हेतु आवेदन (M.C.P. No. 210/2006) का भी निराकरण किया जाता है।

सही/-

**(दिलीप रावसाहेब देशमुख)**

न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur